फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सरपंच ग्रा0पं0 सरदारपुरा खर्था   बनाम   राज पत्नी राधकृष्ण

किस्म मुकदमाः–रास्ता स्वीकृति   प्रकरण संख्याः– 68 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2025	आज यह पत्रावली सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरी पंचायत के ग्राम सरदारपुरा खर्था से चक 13 एस0डी0 को जाने का एकमात्र मार्ग है। इस मार्ग के मध्य में मुरब्बा नं0 85 तथा पत्थर नं. 187/23 में मार्ग मंजुर नही है। यह मुरब्बा राज पतिन राधाकृष्ण जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं0 06 रावतसर की खातेदारी भूमि है। रास्ता मंजुर होने से ग्रेवल रोड़ का निर्माण नही किया जा रहा है। अतः खातेदार की सहमति और जनहित को देखते हुए यह रास्ता मंजुर करवाया जाना अत्याआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एस0पी0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 41/38 के पत्थर नं. 187/23 (85) के किला नं. 1–10–11–20–21 में रास्ता मंजुर किया जावें। अप्रार्थीया की ओर से वकील श्री सर्वजीत छाबड़ा ने निवेदन किया कि यदि प्रस्तावित रास्ता हमेशा से ही चल रहा है। इसलिये यदि यह रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है तथा ना ही किसी मुआवजा की मांग है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीया ने 100/– रूपये के स्टाम्प पर अपना सहमति प्रदान की है। अतः जनहित एवं न्यायहित में प्रार्थी सरपंच ग्रा0प0 सरदारपुरा खर्था का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी राज पत्नि राधाकृष्ण जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 06 रावतसर के नाम अंकित खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एस0पी0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 41/38 के पत्थर नं. 187/23 (85) के किला नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक किला में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। जिसे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावे। उक्त स्वीकृत रास्ता की भूमि पर से रहन हटाया जाकर अप्रार्थीया के शेष रकबा पर रहन का नोट यथावत् रहेगा। पत्रावल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	1719 21.03.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.26 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक / राजस्व / प्रा.पत्र / रास्ता / 68 / 25 / 20.03.2025 / 1719 दिनांकः–20.03.2025

21

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः–राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 68/2025 अनवान सरपंच ग्रा0प0 सरदारपुरा खर्था बनाम राज पत्नि राधाकृष्ण बाबत् रास्ता स्वीकृति में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2025 की पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी सरपंच ग्रा0प0 सरदारपुरा खर्था का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी राज पत्नि राधाकृष्ण जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 06 रावतसर के नाम अंकित खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एस0पी0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 41 / 38 के पत्थर नं. 187 / 23 (85) के किला नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक किला में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। जिसे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावे। उक्त स्वीकृत रास्ता की भूमि पर से रहन हटाया जाकर अप्रार्थीया के शेष रकबा पर रहन का नोट यथावत् रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर पालना की जानी सुनिश्चित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.26 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested